



कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र, गुना

आवेदन क्रमांक: 173333

आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण मान्यता

मान्यता दिनांक - 03/03/2025

पति,

अध्यक्ष,

Guna Education Society

Vidya Bhavan Public School

GUNA, गुना, मध्यप्रदेश

**विषय:-** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्राप्त होगी।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 31/01/2025 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके - Vidya Bhavan Public School स्कूल आईडी -PS25677 विकासखंड-GUNA को स्कूल का प्रकार प्राथमिक सह माध्यमिक शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2025 से 31/03/2028 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवरित नहीं होगी।
2. स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के बंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा किसी रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल की अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. गोमाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का गंग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के स्वतंत्र के आभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि –
  - (क) प्रायमरी स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्काशित नहीं किया जाएगा।
  - (ख) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को लॉटरी अन्वयन की विधि कानूनी प्राप्ति की जाएगी।
  - (ग) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - (घ) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक योग्य प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
  - (ङ) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिव्यांग विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाप्ति किया जाएगा;
  - (च) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन किसी भी शिक्षक द्वारा अनुग्रह शिक्षक की वार्ताएँ वार्ताएँ स्कूल में अधिनियम की धारा 19 एवं 25 में उल्लेखित प्राप्तदाता के पूर्ण करने हुये मान्यता अवधि तक शिक्षकों की विशुद्धि की वार्ताएँ वार्ताएँ रखी जाएगी।
  - (झ) शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनियमित आपके कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - (ঞ) प्राक्कोर्स शिक्षण की विनियमितियों से शिक्षक स्वतंत्र भाग नहीं होने देंगे।

- (अ) भारत की गण्डीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट मनियमों के अनुसृप्त अनि सुक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।
- (ब) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक गत्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी मूलना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।
- मध्यप्रदेश निजी विभालय नियमन बोर्ड के नियमों के अनुसार ही फीस में बदोत्तरी की जा सकती है।
8. स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाद्यवर्ता का अनुसारण करेगा।
  9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध युविधाओं के अनुग्रात में बालकों का नामांकन करेगा।
  10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के गानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं।

स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन
स्कूल परिसर का क्षेत्रफल	112500
कुल निर्मित क्षेत्रफल	14400
खेल मैदान का क्षेत्रफल	98100
कक्षाओं के कमरों की संख्या	22
प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष	4
लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन	हाँ
स्वच्छ पेयजल सुविधा	हाँ
पश्चान्त्र भोजन के लिए रसोई घर	1
वाधा गहित प्रवेश की सुविधा	हाँ
पठन-पाठन सामग्री	हाँ
खेल पर्स खेलकूद उपकरण	हाँ
पुस्तकालय की उपलब्धता	हाँ
शिक्षकों की संख्या	21
तेज़े संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उग्रित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परियोजना समन्वयकक्षों द्वारा जाएंगी।	
आपके स्कूल को आवंटित मान्यता कोड नम्बर 25677 है। इस कार्यालय के साथ कसी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर मंदाभृति करिए जाएं।	
स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर अंदेशित ही जाए। और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की क्रियों को दूर करने के लिए अपना मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति मुनिशित करने हेतु जारी किए जाएं।	
यदि कोई शाला उसके द्वारों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिशित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सन्नियमों का पालन हो रहा है। शाला को स्कूल वस्तों में महिला कंडाटर नी उपलब्धता के संबंध में समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।	
सोमायटी/न्यास, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।	
अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने रथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस से ली जाएगी।	

Digitally signed by RISHI KUMAR SHARMA  
Date: 2025.03.03 13:37:08 +05:30  
Reason: RTE school recognition  
Location:

\* मान्यता प्रमाण पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षित है, भौतिक हस्ताक्षर नहीं है।

भवदीय,

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र